श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, सरकार ने inoperative या operational airports की जो लिस्ट submit की है, इनके अलावा कुछ हवाई अड्डे और भी हैं। भारत-नेपाल सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी पलिया कलां में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था, जिसका अभी तक प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि वहां पर दुधवा नेशनल पार्क है, जो एक बहुत बड़ी sanctuary है। इसकी वजह से वहां 5 हजार से भी ज्यादा टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं, इसलिए वे इसकी डिमांड कर रहे हैं। वहां पर पर्यटन के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी के बड़े issues भी हैं। वहां एसएसबी लगी हुई है, जो वहां patrolling करती है। इसलिए इस एयरपोर्ट का operational होना बहुत जरूरी है। क्या इस सम्बन्ध में आप निर्णय ले पाएंगे?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI: Sir, we are trying to make as many airports operational as we can. And wherever the Airlines see an economic activity going on, it is happening faster in those cases. However, these suggestions can be considered and worked on.

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि

*182. **श्रीमती बिमला कश्यप सूदः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के पूर्णतया लागू होने के बावजूद देश में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जांच एवं भ्रूण हत्या के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) सरकार द्वारा देशभर में दोषी स्त्री रोग विशेषज्ञों तथा उन माता-पिताओं के विरूद्ध जिन्होंने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए उनसे सम्पर्क किया है, क्या कड़ी कार्रवाई की गई है ताकि कन्या-भ्रूण हत्या को पूरी तरह से रोका जा सके; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के लिए उत्तरदायी लिंग निर्धारण हेतू जन्मपूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरूपयोग के लिए संबंधित उचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्टों (क्यूपीआर) के अनुसार अधिनियम बनाने के समय से ही उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः—

(i) पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के उल्लंघन करने के लिए कुल 1573 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील तथा जब्त किया गया है।

(ii) पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने के लिए राज्यों के विभिन्न उचित राज्य प्राधिकारियों द्वारा कुल 2152 कोर्ट केस दायर किए गए हैं तथा अभी तक 306 दोषसिद्धियां की गई हैं।

(iii) संबंधित राज्य मेडिकल परिषदों द्वारा अधिनियम के तहत दोषसिद्ध 100 मेडिकल पेशेवरों के पंजीकरण को निलंबित/रद्द किए गए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), जो कन्या भ्रूण हत्या के आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़ों का संकलन करता है ने कन्या भ्रूण हत्या को एक अलग श्रेणी में श्रेणीकृत किया है। एनसीआरबी के अनुसार, वर्ष 2014 में देश भर में कन्या भ्रूण हत्या के तहत कुल 50 मामले सूचित किए गए हैं।

Convictions under PCPNDT Act

†*182. SHRIMATI BIMLA KASHYAP SOOD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of cases of pre-natal sex determination tests and female foeticides in the country which have come to light despite complete enforcement of the Preconception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 across the country;

(b) the country-wide details of stringent action taken by Government against the guilty gynaecologists and the parents who approached for pre-natal sex determination, so that, the female foeticide can be fully curbed; and

(c) if no action was taken, the reasons therefor and the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Under the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 and Rules made thereunder, action against misuse of pre-natal diagnostic techniques for sex determination leading to female foeticide is to be taken by the concerned Appropriate Authorities. As per Quarterly Progress Reports (QPRs) submitted by States/ UTs, following actions have been taken against the violators since inception of the Act:

(i) A total of 1573 ultrasound machines have been sealed and seized for violations of the PC and PNDT Act and rules made thereunder.

† Original notice of the question was received in Hindi.

(ii) A total of 2152 court cases have been filed by various State Appropriate Authorities and 306 convictions have so far been secured for violations of the provisions of the PC&PNDT Act and Rules made thereunder.

(iii) Registration of 100 medical professionals convicted under the Act has been suspended/cancelled by the concerned State Medical Councils.

National Crime Records Bureau (NCRB), which compiles data related to criminal cases of female foeticide, has categorised female foeticide as a separate category since 2014. As per NCRB, a total of 50 cases have been reported under female foeticide across the country in 2014.

श्रीमती बिमला कश्यप सूदः सभापति महोदय, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर्स के विरुद्ध तो कार्रवाई होती है, परन्तु मुझे यह कहना है कि भ्रूण हत्या तो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर्स नहीं करते, भ्रूण हत्या तो स्त्री रोग विशेषज्ञ ही करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि कितने स्त्री रोग विशेषज्ञों को आज तक सजा हुई और कितने माता-पिताओं पर कार्रवाई की गई?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, जैसा कि हम जानते हैं कि PC and PNDT Act के तहत हम लोगों ने चाइल्ड सेक्स रेश्यो को ठीक करने का और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया था। उसकी दृष्टि से अभी तक कुल मिलाकर इसके तहत 1,573 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सीज़ किया गया है, 2,152 कोर्ट केसेज़ चल रहे हैं, 306 कंविक्शंस हुए हैं और 100 डॉक्टर्स के मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। इस तरीके से हमारी कोशिश है कि PC and PNDT Act को और इफेक्टिव बना कर जो इस तरीके से सेक्स रेश्यो में डिक्लाइन आ रहा था, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है।

श्रीमती बिमला कश्यप सूदः सभापति महोदय, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर्स पर तो कार्रवाई होती है, मशीनें सील की गईं, कोर्ट में केसेज़ भी बने, डॉक्टर्स के लाइसेंस भी रद्द हुए, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इससे भ्रूण हत्या रुकी हैं और कन्याओं की संख्या बढ़ी है? जब तक माता-पिता या परिवार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक इस बुराई से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2014 में भ्रूण हत्या के तहत कुल 50 मामले आए, इन मामलों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, मैंने कहा है कि इस दृष्टि से सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई होती है और फैमिली, यानी हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। दोनों की तरफ कार्रवाई होती है। जो लोग इसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सेक्स डिटरमिनेशन करके बताते हैं या जो मशीनें इनको करती हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं, उनके खिलाफ भी और गायनाकोलॉजिस्ट्स के खिलाफ भी एक्शंस होते हैं और जो एक्शंस लिए गए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है।

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, दुर्भाग्य से मैं उस क्षेत्र से आती हूं, जहां पर सबसे ज्यादा फीमेल फीटिसाइड होता है, जो पेपर में भी आया है।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जिसकी जानकारी उन्होंने आंकड़ेवार दी है, 1573 और 2152, तो यह कितना विषम है, जिस तादाद में भ्रूण हत्या होती है, बच्चियों को गर्भ में मारा जाता है, तो वह और यह प्रमाण कितना विषम है? सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं, वे इस बारे में कोडवर्ड में लिखते हैं। वे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 'जय माता दी' लिखते हैं, इसका मतलब है कि लड़की होने वाली हैं और 'श्रीगणेश' लिखते हैं, इसका मतलब है कि लड़का होने वाला है। तो इनको कानून के घेरे में लाने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, मैंने जैसा कहा, मैं माननीय सदस्या की भावनाओं से सहमत हूं। इस तरीके की प्रैक्टिसिज़ बहुत चल रही हैं, लेकिन PC and PNDT Act अपने आप में बहुत सक्षम है और साथ ही साथ उसमें जितने चेंजेज़ करने की जरूरत है, वह सेंट्रल सुपरवाइज़री बोर्ड समय-समय पर करता रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 1991 से 2001 और 2001 से लेकर 2011 तक जो सेक्स रेश्यो था, उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। But much more has to be done. We cannot say that we are satisfied with it. It has to be done more exhaustively and इसमें और भी कोई सजेशंस हों, तो हमारे रूल्स उसमें परमिट करते हैं कि many improvements have been done, but whatever improvements are suggested by the hon. Members also, we will see to it that we will incorporate it.

श्री आर. के. सिन्हाः सर, मैं माननीय मंत्री जी ये यह जानना चाहता हूं कि क्या बालिकाओं के विद्यालयों में आपने कोई जागरुकता अभियान चलाने के लिए, उसको संवेदनशील बनाने के लिए और भ्रूण हत्या के खतरों के बारे में उनको जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाने का विचार किया है? अगर किया है, तो उसका विवरण बताएं।

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, यह जागरूकता की दृष्टि से IEC के माध्यम से हम लोग माताओं को, बहनों को, सबको तो बताते ही रहते हैं, but, basically, Women and Child Welfare के द्वारा हमने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसकी सर्वदा चर्चा भी हुई है। लोगों को उसके माध्यम से एजुकेट किया जा रहा है।

श्री अविनाश पांडेः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक्ट के तत्पश्चात क्या कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एडवाइज़री कमेटी का कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, जो इसे फौलो-अप करे और इससे संबंधित जो केसेज बने हैं, उसका सही समय पर निवारण कर सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः महोदय, इसके लिए सेंट्रल सुपरवाइज़री बॉडी है और स्टेट एप्रोप्रिएट बॉडी है, जो समय-समय पर कार्य करती रहती है। मेरी अध्यक्षता में सेंट्रल एडवाइज़री बॉडी छः महीनों में एक बार यहां मिलती है। उसी में मैंने कहा कि यह जो चेंजेज़ करने की बात होती है, उसको हम करते हैं, जो स्टेट से आता है। जो स्टेट एडवाइज़री बॉडी है, वह अपनी चैकिंग करती है और इसमें जो चेंजेज़ लाने होते हैं, उनको लाने का प्रयास करती है। जैसा कि हम जानते हैं ...(**व्यवधान**)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौः इस सेंट्रल बॉडी की दो साल से मीटिंग नहीं हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज, बैठ जाइए।

श्री जगत प्रकाश नड्डाः आपकी जानकारी जरा थोड़ी सी सीमित है। मीटिंग हुई है और वह मीटिंग लास्ट 2015 में हुई है। मैंने जैसे कहा कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है, वह उसको कंडक्ट करता है और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड हर तीन महीने पर मिलता है और उसके साथ-साथ उसकी दृष्टि से जो परिवर्तन करने की और जो चैकिंग करने की बात होती है, उसको देखता है।

Study on effectiveness of CSR Policy

*183. DR. KANWAR DEEP SINGH: Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any study has been carried out on the implementation and effectiveness of CSR policy;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the details of steps Government proposes to take for making the scheme more effective and result oriented?

THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. However, a High Level Committee, set up by the Ministry of Corporate Affairs to suggest measures for monitoring the progress of implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) policies by companies, has submitted its report on 22nd September, 2015 alongwith its recommendations for better implementation and effectiveness of CSR under the Companies Act, 2013. The report, including the recommendations of the Committee, has been placed in the public domain on the Ministry's website (*www.mca.gov.in*). Major recommendations of the Committee includes, *inter-alia*, the following:

- It would be desirable to conduct a review of the CSR provision of the Act after three years.
- Ceiling on administrative overhead cost should be increased from 5% to not more than 10% of the CSR expenditure.
- Definition of the term "net profit" used under the Act and Rules need to be clarified.
- Re-examination of reference to the 'any financial year' in Section 135 (1) of the Act with a view to making necessary amendment(s) either in Section 135 (1) or in the relevant rule.